भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेड़ी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल और संबद्ध अस्पताल में **"चिकित्सा चिकित्सा भौतिकीविद"** के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेड़ी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल में **"चिकित्सा भौतिकीविद"** के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपतिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए टिप्प/भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल - कर सकते हैं।

(निर्मल कुमार भगत)
निदेशक (अस्पताल)
दूरभाष-011 : 23061334

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2019

सा.का.नि.- ... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा भौतिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा भौतिकीविद् (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा भौतिकीविद्	2* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपए)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख़ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियोलॉजिकल या चिकित्सा भौतिकी में पोस्ट एम.एससी डिप्लोमा और किसी मान्यताप्राप्त सुसज्जित रेडियेशन थेरपी विभाग में न्यूनतम 12 महीने की इंटर्नशिप । या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान की आधारभूत डिग्री जिसमें भौतिकी एक मुख्य विषय के रूप में हो; और किसी किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियोलॉजिकल या चिकित्सा भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त सुसज्जित रेडियेशन थेरपी विभाग में न्यूनतम 12 महीने की इंटर्नशिप ।	आयु: लागू नहीं होता । शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं होता ।	एक वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपए) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100) में दो वर्ष की नियमित सेवा या समतुल्य और जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों । (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी: 1. संयुक्त सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उपमहानिदेशक - सदस्य; 3. निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली - सदस्य; 4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख - सदस्य।	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[ए.12018/01/2014-एमएच-II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार